

प्रेषक : क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, रायपुर।

सेवा में,

निदेशक,
जनसूचना एवं सम्पर्क
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या : 1907 / विज्ञापन / 2019-2020

दिनांक: 23.01.2020

विषय- समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए शास्त्रीय औषधियों का क्रय किया जाना है, जिसके लिए अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन समाचार पत्र में निःशुल्क किया जाना है, इस पत्र के साथ प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति (6 प्रति) एवं सी०डी० मूल प्रति संलग्न है कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि समाचार पत्र में निःशुल्क अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन करवाने की कृपा करें जिससे कि समयान्तर्गत क्रय की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।

संलग्नक- उक्तवत।

डा० सुशील कुमार गुप्ता
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
रायपुर।

संख्या : 1910 / विज्ञापन / 2019-2020

दिनांक: 23

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक आयुर्वेद सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमारी अधिकारी, एन०आई०सी० रायपुर को इस निवेदन के साथ कि संलग्नक औषधि क्रय कहेतु टेंडर विज्ञापन की नियम व शर्तें <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड करने की कृपा करें।
4. श्री दिनेश चन्द्र गौड़, दैनिक वेतन भोगी लिपिक, कार्यालय को इस निर्देश के साथ कि वह उपरोक्त से सम्बन्धित प्रपत्र लेकर विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाश करायें।

डा० सुशील कुमार गुप्ता
क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
रायपुर।

प्रेषक :
सेवा में,

देशीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, रामपुर।

निदेशक,
जनसूचना एवं सम्पर्क
उ०प्र०, लखनऊ।

27 JAN 2020

संख्या :

1907

/विज्ञापन/2019-2020

पद


दिनांक: 23.01.2020

विषय- समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत करना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयुर्वेद विद्यालय के लिए शास्त्रीय औषधियों का क्रय किया जाना है, जिसके लिए अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन समाचार पत्र में निःशुल्क किया जाना है। इस पत्र के साथ प्रकाशन हेतु विज्ञापित (6 प्रति) एवं ती०दी० मूल प्रति संलग्न है कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि समाचार पत्र में निःशुल्क अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन करवाने की कृपा करें जिससे कि समयान्तर्गत क्रय की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।
संलग्नक- उक्तवत।


डा० सुरजील कुमार गुप्ता
देशीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
रामपुर।

संख्या : 1907/09

/विज्ञापन/2019-2020

दिनांक:

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक आयुर्वेद सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रसारी अधिकारी, एन०आई०सी० रामपुर को इस निवेदन के साथ कि संलग्नक औषधि क्रय कहेतु टेंडर विज्ञापन की नियम व शर्तें <http://etenders.upnic.in> पर अपलोड करने की कृपा करें।
4. श्री दिनेश चन्द्र गौड़, दैनिक वेतन भोगी लिपिक, कार्यालय को इस निर्देश के साथ कि वह उपरोक्त से सम्बन्धित प्रपत्र लेकर विज्ञापित के प्रकाशन हेतु सम्पर्क कर विज्ञापित प्रकाश करायें।



डा० सुरजील कुमार गुप्ता
देशीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
रामपुर।

निविदा सूचना आयुर्वेद/यूनानी वित्तीय वर्ष 2019-2020

क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, रामपुर के द्वारा गठित क्रय समिति के अनुमति के अधीन इस जनपद के अन्तर्गत संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 में निदेशक, आयुर्वेदिक सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ के परिपत्र संख्या 522/003/6034/2019-20/लेखा, दिनांक 08.07.2019, 523/003/6036/2019-20/लेखा, दिनांक 08.07.2019 के अनुसार प्राप्त बजट में मानक मद 39 औषधि तथा रसायन की आपूर्ति हेतु मोहरबन्द निविदा केवल अद्यावधि लाइसेंस एवं अच्छी विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) प्रमाण-पत्र धारक वैधता वाली ऐसी प्रतिष्ठित GMP Holder Original Manufacturer फर्म, जो स्वयं गुणकारी औषधि का निर्माण करती है तथा आयुर्वेद घोटाले के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो, विजीलेंस अथवा जो कभी अन्य किसी सक्षम जांच एजेंसी द्वारा चिन्हित/प्रतिबन्धित/विचारधीन अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाली फर्म नहीं है, से आमन्त्रित की जा रही है।

आपूर्ति की जाने वाली मानक मद-39 औषधि तथा रसायन की गुणवत्ता की जांच जी०एम०पी० धारक फर्म की प्रयोगशाला से कराकर आपूर्ति के समय बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसका सम्पूर्ण व्यय औषधि आपूर्ति कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।


निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०सं०	39-औषधि तथा रसायन	बजट (रु०)	क्रयदारी प्रक्रिया
01	02	03	04
1-	प्राचीण आयुर्वेद	420000/-	निविदा द्वारा
2-	शहरी आयुर्वेद	160000/-	निविदा द्वारा

- 1- निविदा पत्र प्राप्त करने की तिथि 03.02.2020 से 12.02.2020 तक समय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय रामपुर ।
- 2- निविदा पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 14.02.2020 समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक स्थान उपरोक्तानुसार रामपुर ।
- 3- निविदा हेतु आपूर्ति की जाने वाली मानक मद-39 औषधि तथा रसायन का निविदा पत्र (विवरण) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपरोक्त बिन्दु 01 के अनुसार 100रुपये शुल्क जमाकर उपरोक्त बिन्दु 02 की समय सारणी के अनुसार मुहरबन्द जमा किया जा सकता है।
- 4- निविदा पत्र खोलने की निर्धारित तिथि 16.02.2020 को समय अपराह्न 5:00 बजे स्थान उपरोक्तानुसार रामपुर में इच्छुक निविदा दाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा प्रपत्र क्रय समिति द्वारा खोले जायेंगे। निविदा की उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा पत्रों को खोलने की तिथि, समय एवं स्थान यथावत रखना अथवा इसमें परिवर्तन करना अथवा प्राप्त किसी भी एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करना अथवा शर्त/नियम विधिल करना अध्यक्ष, क्रय समिति के अधिकार क्षेत्र में निहित है।
- 5- फर्म की केवल पेड-बिल्टी स्वीकार की जायेगी, अर्थात् अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय तक के गाड़े की व्यय व्यवस्था, आपूर्ति करने वाली फर्म द्वारा की जायेगी (एफ.ओ.आर.-कार्यालय, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रामपुर)
- 6- फर्म को आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर 'सामग्री और सम्पत्ति' 15 दिवस के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी तथा इस आदेश का सकारात्मक स्वीकृति का शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा मूल्य जो वापस न होगा-रु०-100.00(एक सौ रुपये मात्र) जमा करें।
- 7- धरोहर धनराशि रु०- 11600.00 (ग्यारह हजार छः रुपये मात्र)आयुर्वेद हेतु, राष्ट्रीय बैंक से जारी एफ०डी०आर०के रूप में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, रामपुर के नाम बन्धक कराकर निविदा के साथ ही जमा करना होगा, जो कि मूल रूप में दिनांक 14.02.2020 को समय 12:00बजे तक कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, रामपुर में प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। उक्त एफ०डी०आर० के समाप्तनर्तक प्राप्त न कराये जाने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।


क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
रामपुर ।

- 8- आपूर्ति स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, कार्यालय रामपुर (जिला पंचायत परिसर सिविल लाइन)
- 9- निविदा की वैधता- 14.02.2020 तक
- 10- 'सामग्री और सम्पूर्ति' की प्राप्ति अन्य स्रोत से होने पर अथवा उनका विकल्प उपलब्ध होने पर अथवा चिकित्सालयों की मांग के अनुसार औषधियों की मात्रा आवश्यकता के अनुरूप घटाई/बढ़ाई/शून्य की जा सकती है।
- 11- सक्षम अधिकारी/अध्यक्ष क्रय समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि उनके द्वारा एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है जिसमें किसी प्रकार की प्रति कार्यवाही मान्य नहीं होगी।
- 12- आयुर्वेद घोटाले के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो, विजीलेस अथवा जो अन्य कभी किसी सक्षम जांच एजेन्सी द्वारा चिन्हित/प्रतिबन्धित/विचाराधीन अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाली फर्म नहीं हैं, से मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। फर्म इस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।
- 13- समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र जनपदीय न्यायालय, रामपुर मान्य होगा।
- 14- उच्च कोटि की गुणकारी सामग्री और सम्पूर्ति की प्रत्येक आइटम की एक ही पहुँचवा दर निर्धारित कालम में स्पष्ट अक्षरों में अंको एवं शब्दों में भरी जायेगी। प्रत्येक आइटम की प्रतिकिलो अथवा आवश्यकतानुसार प्रतिग्राम की दर मूल्य अंकित करना होगा।
- 15- निविदा से प्राप्त सामग्री और सम्पूर्ति की मूल्य दरें वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मान्य होगी।
- 16- जिन जिन औषधियों के भाव निविदा पत्र में अंकित करे, उन उन औषधियों के नमूना (सैम्पुल) निविदा जमा करते समय कार्यालय में उपलब्ध कराएँ। क्रय समिति के सदस्यों के द्वारा फर्म के नमूनों के सत्यापन/सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा स्वीकार की जायेगी। अतैव नमूनों पर औषधि का नाम स्पष्ट अंकित करें।
- 17- आपूर्ति की स्पर्धात्मक दर युक्त निर्धारित निविदा भाव पत्र मूल रूप में एक सील्ड लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपर कोटेशन अंकित कर निविदा दाता का विवरण, पता, मोबाईल नम्बर आदि अंकित किया जायेगा।


क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी,
रामपुर।

उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तें मान्य है। मैं इनका पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। अनुपालन न होने की दशा में मेरी निविदा निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

फर्म का नाम-
एवं

कोटेशनदाता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम तथा मुहर

दिनांक:-